दिनांक 08.07.2013 को उपायुक्त, चतरा की अध्यक्षता में सम्पन्न समाज कल्याण से संबंधित बैठक की कार्यवाही :–

1– *उपस्थिति पंजी में संधारित है।*

कार्यवाही

2– सर्वप्रथम गत बैठक की कार्यवाही की समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त इस जिलान्तर्गत संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों में सेविका/सहायिका की रिक्ति से संबंधित अद्यतन जानकारी प्राप्त की गई। बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों द्वारा रिक्ति की स्थिति निम्नवत बताया गया :–

क्र0	परियोजना का नाम	रिक्ति	
		सेविका	सहायिका
1	चतरा ग्रामीण	0	0
2	सिमरिया	01	01
3	टण्डवा	0	0
4	ईटखोरी	0	0
5	हण्टरगंज	01	01
6	प्रतापपुर	0	0
	कुल–	**02**	**02**

संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि किसी भी परिस्थिति में इस माह के अन्दर रिक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों की सेविका/सहायिका का चयन आम–सभा के माध्यम से कर लिया जाय ताकि किसी भी केन्द्र पर पोषाहार बाधित नही हो। **(अनुपालन–बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सिमरिया, हण्टरगंज)**

3– निरीक्षण/पर्यवेक्षण :– सभी महिला पर्यवेक्षिकाओं द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। अवलोकन के कम में पाया गया कि निरीक्षण प्रतिवेदन में सम्बन्धित आंगनबाड़ी केन्द्रों के बच्चों की संख्या अंकित रहता है परन्तु उस केन्द्र में कितने बच्चे पंजीकृत है इसका उल्लेख नही रहता है। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि निरीक्षण के दिन बच्चों की संख्या 15–20 होती है परन्तु अन्य दिनों में उनकी संख्या काफी अधिक होती है। इससे स्पष्ट होता है कि आंगनबाड़ी केन्द्रों का सतत् निरीक्षण/पर्यवेक्षण नही किया जाता है तथा निरीक्षण प्रतिवेदन मात्र खानापूर्ति बनकर रह जाता है।

बच्चों की उपस्थिति के लिए सहायिका को विशेष रूप से जिम्मेवारी दी जाने की आवश्यकता है। सहायिका का मुख्य कार्य बच्चों को केन्द्र पर लाना है। चूँकि आंगनबाड़ी केन्द्र उसी टोले/मुहल्ले में संचालित होते हैं जहॉ की निवासी सम्बन्धित सेविका तथा सहायिका होती हैं, अतएव उस मुहल्ले/टोले के बच्चों की पहचान कर आसानी से उन्हें केन्द्र पर लाया जा सकता है। बच्चों के अभिभावक को भी जागरूक करने की आवश्यकता है। निदेश दिया गया कि सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों में पंजीकृत बच्चो की शत–प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित कराने हेतु सम्बन्धित सेविका तथा सहायिका पर आवश्यक दबाव बनाया जाय ताकि कार्यकम की सार्थकता सिद्ध हो सकें।

(अनुपालन–सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं महिला पर्यवेक्षिका)

सिमरिया परियोजना की महिला पर्यवेक्षिका श्रीमती रीता देवी द्वारा समर्पित निरीक्षण प्रतिवेदन में एक भी केन्द्र का फोटोग्राफ संलग्न नही था तथा प्रतिवेदन का स्वरूप भी सही नही था। निदेश दिया गया कि निरीक्षण प्रतिवेदन बिल्कुल स्पष्ट तथा फोटोयुक्त समर्पित करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन–सभी महिला पर्यवेक्षिका)

चतरा ग्रामीण परियोजना की महिला पर्यवेक्षिका श्रीमती शीला प्रसाद द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन समर्पित नही किया गया। इस पर काफी क्षोभ व्यक्त किया गया।

4– मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना :– इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2012–13 में स्वीकृत कुल 843 लाभुकों में से वर्त्तमान समय तक विभिन्न परियोजनाओं से कुल 188 लाभुको के राष्ट्रीय बचत प्रमाण–पत्र कय से संबंधित आवेदन (विहित प्रपत्र) अप्राप्त रहने के कारण वर्त्तमान समय तक उनके नाम राष्ट्रीय बचत प्रमाण–पत्र निर्गत नही कराया जा सका है। गत मासिक बैठक में ही सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं महिला पर्यवेक्षिका को उक्त प्रपत्र जिला समाज कल्याण कार्यालय को उपलब्ध कराने का निदेश दिए जाने के बावजूद भी प्रपत्र अप्राप्त रहना उनकी संवेदनहीनता को दर्शाता है। निदेश दिया गया कि एक सप्ताह के अन्दर अवशेष लाभुको के प्रपत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन–सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं महिला पर्यवेक्षिका)

वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए माह जून 2013 में मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना के तहत प्राप्त आवेदनो की स्थिति कार्यालय द्वारा निम्न प्रकार बताया गया :–

क्र0	परियोजना का नाम	प्राप्त आवेदनो की सं0
1	प्रतापपुर	13
2	हण्टरगंज	40
3	ईटखोरी	72
कुल–		**125**

इतने कम आवेदन उपलब्ध कराने पर काफी नाराजगी जाहिर किया गया। प्राप्त आवेदन की जांच के कम में प्रायः काफी आवेदन त्रुटिपूर्ण होने के कारण इसे जिला स्तर पर अस्वीकृत किया जाता है। स्पष्ट है कि परियोजना स्तर पर इसकी जॉच नही की जाती है। फलतः काफी संख्या में आवेदन अस्वीकृत हो जाते है जबकि इस योजना के लिए निर्गत मार्गदर्शिका बिल्कुल स्पष्ट है।

निदेश दिया गया कि इसके लिए एक चेकस्लीप तैयार कर सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को उपलब्ध करायी जाय ताकि इसके अनुसार प्राप्त प्रत्येक आवेदन की जांच परियोजना स्तर पर करते हुए आवेदन के साथ चेकस्लीप संलग्न कर जिला को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जा सके।

(अनुपालन–जिला समाज कल्याण पदाधिकारी एवं सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी तथा महिला पर्यवेक्षिका)

जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, चतरा द्वारा सुझाव दिया गया कि प्रत्येक आवेदक से सभी कागजातों पर उनका हस्ताक्षर करा लिये जाएं ताकि कागजातों की सत्यता की जिम्मेवारी उनपर निर्धारित किया जा सकें।

इस प्रस्ताव को लागू करने का निदेश सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं महिला पर्यवेक्षिका को दिया गया। **(अनुपालन–सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं महिला पर्यवेक्षिका)**

5— मुख्यमंत्री कन्यादान योजना :— इस योजना के तहत सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को प्रखण्डवार एवं कोटिवार आवंटन तथा लक्ष्य उपलब्ध कराया जा चुका है। सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं महिला पर्यवेक्षिका को निदेश दिया गया कि लक्ष्य के अनुरूप सुयोग्य लाभुको के आवेदन प्राप्त करना सुनिश्चित करे ताकि 31 अगस्त 2013 तक पूर्ण लक्ष्य हासिल किया जा सके। लाभुको के चयन में इस बात का विशेष ध्यान रखने का निदेश दिया गया कि किसी भी परिस्थिति में गलत लाभुक का चयन इस योजना के तहत नही हो। चयनित एवं अनुमोदित लाभुको को एक साथ शिविर के माध्यम से चेक प्रदान किया जाना ज्यादा श्रेयष्कर होगा।

(अनुपालन—सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं सभी महिला पर्यवेक्षिका)

6— पोषाहार :— समीक्षा के कम में कार्यालय द्वारा बताया गया कि माह अप्रैल 2013 का पोषाहार की राशि सभी सेविकाओं के खाता में जमा कराया जा चुका है। माह मई 2013 का अभिश्रव मात्र बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, चतरा ग्रामीण, सिमरिया एवं टण्डवा से प्राप्त हुए है। माह जून 2013 का अभिश्रव किसी भी परियोजना से प्राप्त नही है। इसपर काफी क्षोभ व्यक्त करते हुए निदेश दिया गया कि किसी भी परिस्थिति में माह के 5 वीं तारीख तक पिछला माह का अभिश्रव जिला समाज कल्याण कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे अन्यथा इसकी सारी जवाबदेही संबंधित महिला पर्यवेक्षिका एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी की होगी।

(अनुपालन—सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं महिला पर्यवेक्षिका)

7— कुपोषण :— समीक्षा के कम में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, चतरा ग्रामीण द्वारा बताया गया कि अनुबंध पर कार्यरत पारा मेडिकल कर्मियों के हड़ताल पर जाने के कारण बच्चो को M.T.C में नही रखा जा रहा है।

निदेश दिया गया कि कुपोषित बच्चों को चिन्हित कर उन्हें तैयार रखे ताकि हड़ताल समाप्ति के पश्चात अथवा वैकल्पिक व्यवस्था कर उन्हें M.T.C में भेजा जा सकें।

(अनुपालन—सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं महिला पर्यवेक्षिका)

8— स्वामी विवेकानन्द निःशक्त प्रोत्साहन योजना :— जिला समाज कल्याण पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि इस योजना के तहत प्राप्त आवंटन को सभी परियोजनाओं में उपावंटित किया जा चुका है।

राशि की निकासी के संबंध में सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि माह जून 2013 तक का विपत्र तैयार कर लिया गया है तथा पारित कराने हेतु कोषागार में जमा किया जा रहा है।

निदेश दिया गया कि अविलम्ब राशि की निकासी करते हुए उन्हें संबंधित लाभुको के खाता में हस्तान्तरित करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन—सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी)

9— आंगनबाड़ी केन्द्रों का जिर्णोद्धार :— विगत मासिक बैठक में सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को निदेश दिया गया था कि अपने—अपने परियोजनान्तर्गत मरम्मति की आवश्यकता से संबंधित

आंगनबाड़ी केन्द्रों की सूची दिनांक 20.06.2013 तक जिला समाज कल्याण कार्यालय, चतरा में हस्तगत कराना सुनिश्चित करें।

कार्यालय द्वारा बताया गया कि वर्त्तमान समय तक मात्र बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सिमरिया,टण्डवा,प्रतापपुर एवं ईटखोरी के द्वारा ही सूची हस्तगत् कराया गया है। चतरा ग्रामीण एवं हण्टरगंज परियोजना से अप्राप्त है।

निदेश दिया गया कि प्राप्त सूची जिला परिषद् चतरा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन–जिला समाज कल्याण पदाधिकारी)

10– भवनहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण :– 13 वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2013–14 में भी 47 आंगनबाड़ी केन्द्र का भवन निर्माण हेतु आवंटन प्राप्त है। विगत मासिक बैठक में सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को निदेशित किया गया था कि अपने–अपने परियोजना से 08–08 भवनहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों की सूची जमीन की उपलब्धता से संबंधित प्रतिवेदन यथा खाता संख्या, प्लॉट संख्या, जमीन का किस्म आदि के साथ दिनांक 25.06.2013 तक जिला समाज कल्याण कार्यालय, चतरा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

इसपर कार्यालय द्वारा बताया गया कि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, चतरा ग्रामीण एवं सिमरिया से सूची प्राप्त हुआ है। चतरा ग्रामीण से प्राप्त सूची त्रुटिपूर्ण होने के कारण उसे सुधार हेतु वापस कर दिया गया है।

निदेश दिया गया कि किसी भी परिस्थिति में दिनांक 20.07.2013 तक सूची जिला समाज कल्याण कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे ताकि भवन निर्माण से संबंधित अग्रेत्तर कार्रवाई की जा सके।

(अनुपालन–सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सिमरिया को छोड़कर)

11– आधार कार्ड की अनिवार्यता :– समीक्षा के क्रम में बताया गया कि सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं सहायिकाओं का आधार कार्ड आवश्यक है। विभाग से भी इस संबंध में निदेश प्राप्त है। साथ ही आंगनबाड़ी केन्द्रों में पंजीकृत बच्चों के माता–पिता का भी आधार कार्ड संख्या आवश्यक है।

(अनुपालन–सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी)

जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, चतरा द्वारा बताया गया कि ईटखोरी एवं मयुरहण्ड प्रखण्ड में संभवतः आधार कार्ड का कार्य पूर्ण हो गया है । शेष प्रखण्डों में भी आधार कार्ड बनाने की कार्रवाई की जा रही है।

12– अन्यान्य :– उपस्थित सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं महिला पर्यवेक्षिका को बताया गया कि आंगनबाड़ी केन्द्रों के सभी पंजीकृत बच्चो का पूरा डाटा परियोजना में रखा जाना है। इसमे बच्चे का नाम उसके माता–पिता का नाम एवं पता का उल्लेख आवश्यक है।

इसके अतिरिक्त परियोजना एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों का नया कोड निर्धारण किया जाना है। इससे संबंधित विभाग से प्राप्त निदेश की प्रति पूर्व में ही उपलब्ध कराया जा चुका है।

साथ ही सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं से संबंधित जानकारी निम्न प्रपत्र में आवश्यक है :–

क्र0	आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम	कोड सं0	सेविका का नाम	सेविका का खाता सं0	मोबाईल नं0	आधार कार्ड नम्बर (यदि हो)

निदेश दिया गया कि उपरोक्त तीनो बिन्दुओं का अनुपालन 25.07.2013 तक निश्चित रूप से किया जाय।

(अनुपालन–सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं महिला पर्यवेक्षिका)

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह0/-
उपायुक्त,
चतरा।

ज्ञापांक 356 /स0क0 दिनांक 15.7.13

प्रतिलिपि :– आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– निदेशक, समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग, झारखण्ड रांची को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः– सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी,/महिला पर्यवेक्षिका को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, चतरा को सूचनार्थ एवं जिला के Website पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

15/7/13
उपायुक्त,
चतरा।